भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3533

उत्तर देने की तारीख -11/08/2025

सोमवार, 20 श्रावण, 1947 (शक)

कार्यशील जन शिक्षण संस्थानों की संख्या

3533. श्रीमती भारती पारधी:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, उन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए जो अभी भी सेवा से वंचित हैं, वर्तमान में कार्यशील जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विशेषकर आकांक्षी जिलों और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में नए जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंड और समय-सीमा क्या है;

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जन शिक्षण संस्थान योजना हेतु कुल कितना आवंटन किया गया है और विभिन्न जन शिक्षण संस्थानों को राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि के उपयोग का राज्य-वार और संयुक्त सौर ऊर्जा योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रायः संचालित संयुक्त सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत निधियों का पारदर्शी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है और उपयोग न किए जाने अथवा दुरुपयोग के मामलों में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) : वर्तमान में, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में देश भर में 293 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यरत हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 21 और मध्य प्रदेश में 29 जेएसएस शामिल हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर में कार्यरत जेएसएस का ब्यौर **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ख): नए जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की स्थापना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, जिसमें आकांक्षी जिलों, पिछड़े जिलों, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों, पहाड़ी और द्वीप क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

नए जेएसएस के लिए प्रस्ताव/आवेदन खुली रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों और एमएसडीई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

(ग) और (घ) : चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के अंतर्गत कुल बजटीय आवंटन 185 करोड़ रुपए है । वित्त वर्ष 2022-23 से 30 जून 2025 तक देश भर में इस योजना के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है**।** कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत "संयुक्त सौर ऊर्जा योजना" नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

(ड़) : जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) के मामले में , योजना का क्रियान्वयन स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ प्रशिक्षण संबंधी आँकड़े रखे जाते हैं और प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है। निधि का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक जेएसएस से निर्धारित सामान्य वित्त नियम (जीएफआर)-12ए फॉर्म में वार्षिक उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और लेखापरीक्षित रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है। इसके बाद, जेएसएस के लेखापरीक्षित लेखों का प्रत्येक वर्ष तदनुसार निपटान किया जाता है। निधि का उपयोग न करने के मामलों का निपटारा जेएसएस दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जेएसएस योजना से गैर-सरकारी सगठंन (एनजीओ) की मान्यता रद्द हो सकती है।

अनुबंध-I

'कार्यशील जेएसएस की संख्या' के संबंध में दिनांक 11.08.2025 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

चालू वित्त वर्ष (2025-26) में कार्यात्मक जेएसएस की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**जेएसएस केंद्र (दिनांक 30.06.2025 तक)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	6
अरुणाचल प्रदेश	-
असम	6
बिहार	21
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ	14
दिल्ली	3
गोवा	1
गुजरात	8
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू और कश्मीर	2
झारखंड	13
कर्नाटक	12
केरल	9
लद्दाख	2
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	**29**
महाराष्ट्र	**21**
मणिपुर	4
मेघालय	1
मिजोरम	1
नागालैंड	2
ओडिशा	29
पुदुचेरी	-
पंजाब	2
राजस्थान	9
सिक्किम	-
तमिलनाडु	9
तेलंगाना	6
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	47
उत्तराखंड	8
पश्चिम बंगाल	8
कुल	**293**

अनुबंध- II

वित्त वर्ष 2022-23 से दिनांक 30 जून 2025 तक देश भर में जारी की गई कुल धनराशि

(राशि करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**	**वित्त वर्ष 2025-26** (दिनांक 30 जून 2025 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.50	0.50	0.50	0.12
आंध्र प्रदेश	3.31	3.36	2.99	0.75
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
असम	2.74	2.74	2.90	0.75
बिहार	11.90	11.69	10.11	2.63
चंडीगढ़	0.52	0.56	0.48	0.13
छत्तीसगढ	7.61	7.34	6.74	1.75
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.95	0.96	0.75	0.25
दिल्ली	1.68	1.68	1.50	0.38
गोवा	0.56	0.55	0.48	0.13
गुजरात	4.79	4.48	3.84	1.00
हरियाणा	2.15	2.20	0.97	0.25
हिमाचल प्रदेश	5.71	5.72	4.70	1.40
जम्मू और कश्मीर	0.13	0.25	0.38	0.25
झारखंड	5.72	6.31	6.04	1.63
कर्नाटक	6.51	6.63	5.86	1.50
केरल	5.01	5.04	4.45	1.13
लद्दाख	0.46	0.25	-	0.25
लक्षद्वीप	0.50	0.46	0.38	0.13
मध्य प्रदेश	14.94	15.03	14.11	3.63
महाराष्ट्र	11.31	11.46	10.27	2.63
मणिपुर	2.23	2.18	2.00	0.50
मेघालय	0.50	0.50	0.50	0.13
मिजोरम	0.56	0.52	0.48	0.13
नागालैंड	0.64	0.63	0.25	0.25
ओडिशा	15.38	15.19	14.38	3.63
पंजाब	1.05	0.99	0.98	0.25
राजस्थान	4.29	4.52	4.30	1.13
तमिलनाडु	4.06	4.32	4.27	1.00
तेलंगाना	3.20	3.24	2.89	0.75
त्रिपुरा	1.07	1.02	0.97	0.25
उत्तर प्रदेश	25.79	26.03	23.29	5.88
उत्तराखंड	4.64	4.34	3.97	1.00
पश्चिम बंगाल	4.25	3.69	3.81	1.00
कुल	**154.66**	**154.38**	**139.55**	**36.52**

*****